सं0–1275 / XXV III (3) 2004–141 / 2003

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
चम्पावत ।

चिकित्सा अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी , 2005

विषयः राजकीय एलो0 चिकि0 सिप्टी, जनपद चम्पावत के अवशेष भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0–7प /3/ एस.ए.डी./20/2001/29536 दिनांक 20.12..2004 के संदर्भ में तथा उ0प्र0 शासनादेश सं0–563/28–1–91–10(28)/90 दिनांक 19.3.1991व शासनादेश सं0 510/ XXV III (3) 2004–141/2003 दिनाक 4.8.2004 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलो0 चिकि0 सिप्टी, जनपद चम्पावत के अवशेष भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु संलग्नकानुसार रू0 20,24,,000–00 (रू0 बीस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्ट्यों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विश्ष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

16– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110– अस्पताल तथा औषधालय 91–जिला योजना 01–राजकीय एलोपेथिक चिकित्सालयो के भवनो का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1278/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 14.02.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिहं)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– कोषाधिकारी, चम्पावत।
4– जिलाधिकारी, चम्पावत ।
5– महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2 / नियोजन विभाग / एन.आई.सी.।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं01275/XXVIII(3)2004–141/2003 दिनांक18.1.05का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क. सं0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	पुनरीक्षित लागत	अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	राज0 एलो0 चिकित्सालय सिप्टि जनपद चम्पावत के अवशेष भवन का निर्माण ।	14.03	11.66	31.90	20.24
	योग	**14.03**	11.66	31.90	**20.24**

(रू0 बीस लाख चौबीस हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।